कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से भर्ती वर्ष 2015 में चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल–12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में निम्नांकित व्याख्याता वाणिज्य को नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से निम्नांकित व्याख्याताओं का स्थायीकरण/नियमितीकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 4695–4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एसएलपी संख्या 14306–14310/ 2017 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.17(66)माध्य/शिक्षा–2/विप्र/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.10.2019 के अनुसरण में निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जान के आधार/सेवा सत्यापन की शर्त पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल–12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्रम सं.	विषय	पुरानी मेरिट संख्या व वर्ग	नई मेरिट संख्या	नाम व्याख्याता	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थायीकरण/नियमतवेतन श्रृखला प्राप्त करने की तिथि	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	comm	131 GE LD	–	दीपक कुमार जैन	05/04/1992	30/06/2017	30/06/2019	राबाउमावि विकासनगर–बून्दी

उक्त अभ्यर्थियों की नई मेरिट के संदर्भ में आदेश राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से जारी किये जायेगें ।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/वाणि–इति/प्रोब–स्थाई/पीएससी–15/2019 दिनांकः 26/06/2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर
2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
4 जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5 संबंधित संस्था/संस्थाप्रधान/कार्मिक
6 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग/सी–8 कार्यालय हाजा
7 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर